संख्या-2/ 1423 /अड्तीस-9-13-500(27)/2013

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उ0प्र0 प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 27 नवम्बर, 2013**

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट संयत्र की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश से सम्बन्धित धनराशि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वहन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना से सोलर लाइट संयत्र की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश से सम्बन्धित धनराशि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वहन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों द्वारा शासन के दिशा-निर्देश मांगे गये है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट संयत्र की स्थापना के सम्बन्ध में व्यक्तिगत/परिवारिक लाभ के उपकरण/संयत्र जैसे- सोलर लालटेन/डोमेस्टिक लाइट /पंखा के लाभार्थी अंश का भुगतान लाभार्थी को ही करना होता है और ऐसे व्यक्तिगत लाभ के कार्य निधि से नहीं कराये जायेंगे । निधि से केवल ऐसे सामुदायिक उपयोग के कार्य कराये जायेंगे, जैसे- रोड लाइट, पार्क लाइट और इन कार्यों में अन्तर्निहित लाभार्थी अंश को मा0 विधायकों की संस्तुति पर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना से वहन किये जाने पर कोई रोक नहीं है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

संख्या-2/1423 (1) /अड्तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव